

राजस्थान विधान सभा

आठवां सत्र

कार्य-सूची

मंगलवार, दिनांक 28 फरवरी, 2017

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) अधिसूचनार्ये

1- श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री, वित्त एवं आबकारी विभाग की निम्नांकित अधिसूचनार्ये सदन की मेज पर रखेंगे :-

वित्त विभाग

1. अधिसूचना संख्या: एफ.24(19)वित्त/कर/2015-42 दिनांक 20.9.2016 जिसके द्वारा गोलछा थियेटर, जयपुर में दिनांक 1.9.2016 से 31.10.2016 तक टाईम्स ऑफ इण्डिया-एनआईईई, जयपुर द्वारा बाल फिल्म महोत्सव में आयोजित फिल्मों के प्रदर्शन पर मनोरंजन कर का परिहार किया गया है ;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.2(15)वित्त/कर/2010/पार्ट-43 दिनांक 28.9.2016 जिसके द्वारा रिप्स, 2014 के तहत जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विनिर्माण उद्यमों के लिये स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई है ;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.2(15)वित्त/कर/2010/पार्ट-44 दिनांक 28.9.2016 जिसके द्वारा रिप्स, 2014 के तहत जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की सेवा उद्यमों के लिये स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई है ;
4. अधिसूचना संख्या: एफ.2(15)वित्त/कर/2010/पार्ट-45 दिनांक 28.9.2016 जिसके द्वारा रिप्स, 2014 के तहत आई.टी. क्षेत्र के विनिर्माण उद्यमों के लिये स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई है ;
5. अधिसूचना संख्या: एफ.2(15)वित्त/कर/2010/पार्ट-46 दिनांक 28.9.2016 जिसके द्वारा रिप्स, 2014 के तहत आई.टी. क्षेत्र की सेवा उद्यमों के लिये स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई है ;
6. अधिसूचना संख्या: एफ.2(15)वित्त/कर/2010/पार्ट-47 दिनांक 28.9.2016 जिसके द्वारा रिप्स, 2014 के तहत ई.एस.डी.एम. (इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन विनिर्माण) क्षेत्र के लिये स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई है ;
7. अधिसूचना संख्या: एफ.24(12)वित्त/कर/2016-48 दिनांक 28.9.2016 जिसके द्वारा हिन्दी फिल्म गुटरू गुटरगूं को मनोरंजन कर से सशर्त छूट प्रदान की गई है ;
8. अधिसूचना संख्या: एफ.24(15)वित्त/कर/2016-49 दिनांक 4.10.2016 जिसके द्वारा हिन्दी फिल्म एमएसजी-दी वारियर लॉयन हार्ट को मनोरंजन कर से सशर्त छूट प्रदान की गई है ;

जारी..2..

9. अधिसूचना संख्या: एफ.12(16)वित्त/कर/2009-50 दिनांक 24.10.2016 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 19-ए के अन्तर्गत विलम्ब शुल्क की राशि माफ की गई है ;
10. अधिसूचना संख्या: एफ.12(105)वित्त/कर/2014-पार्ट-1-53 दिनांक 25.10.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(28)वित्त/कर/2010-पार्ट-3-192 दिनांक 24.2.2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
11. अधिसूचना संख्या: एफ.24(18)वित्त/कर/2016-55 दिनांक 11.11.2016 जिसके द्वारा बाल फिल्म समिति द्वारा आयोजित फिल्मों के प्रदर्शन पर दिनांक 15.11.2016 से 16.11.2016 तक मनोरंजन कर का परिहार किया गया है ;
12. अधिसूचना संख्या: एफ.24(46)वित्त/कर/2016-56 दिनांक 18.11.2016 जिसके द्वारा मैसर्स ओम प्रकाश स्टॉक ब्रोकर्स प्रा0 लिमिटेड, जयपुर को विद्युत शुल्क में सशर्त छूट प्रदान की गई है ;
13. अधिसूचना संख्या: एफ.12(45)वित्त/कर/2016-58 दिनांक 18.11.2016 जिसके द्वारा मैसर्स डंगायच प्रोपमार्ट एण्ड रिसोर्स प्रा0 लिमिटेड, जयपुर को विद्युत शुल्क में सशर्त छूट प्रदान की गई है ;
14. अधिसूचना संख्या: एफ.12(102)वित्त/कर/2016-62 दिनांक 30.11.2016 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है ;
15. अधिसूचना संख्या: एफ.12(38)वित्त/कर/2008-63 दिनांक 30.11.2016 जिसके द्वारा मैसर्स सेन्ट गोबिन इण्डिया प्रा0 लिमिटेड, भिवाड़ी को विद्युत शुल्क में सशर्त छूट प्रदान की गई है ;
16. अधिसूचना संख्या: एफ.2(6)वित्त/कर/2014-64 दिनांक 30.11.2016 जिसके द्वारा स्टाम्प शुल्क पर देय ब्याज एवं शास्ति में रियायत के लिये सशर्त विशेष राहत योजना जारी की गई है ;
17. अधिसूचना संख्या: एफ.12(16)वित्त/कर/2009-65 दिनांक 2.12.2016 जिसके द्वारा बिक्री कर अधिनियम, मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत नई एमनेस्टी स्कीम-2016 लागू की गई है ;
18. अधिसूचना संख्या: एफ.12(34)वित्त/कर/2015-66 दिनांक 15.12.2016 जिसके द्वारा राज्य के भीतर सौर ऊर्जा से जनित ऊर्जा के उपभोग पर देय विद्युत शुल्क में सशर्त छूट प्रदान की गई है ;
19. अधिसूचना संख्या: एफ.12(73)वित्त/कर/2016-67 दिनांक 16.12.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-207 दिनांक 9.3.2015 को अधिक्रमण कर राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-20(1) के अन्तर्गत देय कर की अवधि निर्धारित की गई है ;

20. अधिसूचना संख्या: एफ.12(17)वित्त/कर/2015पार्ट-1-68 दिनांक 30.12.2016 जिसके द्वारा प्रवेश कर के लिये स्वैच्छिक एमनेस्टी योजना-2017 जारी की गई है ;
21. अधिसूचना संख्या: एफ.15(4)वित्त/कर/2016-69 दिनांक 6.1.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2013-118 दिनांक 6.3.2013 को तत्काल प्रभाव से निरस्त की गई है ;
22. अधिसूचना संख्या: एफ.12(79)वित्त/कर/2014-70 दिनांक 10.1.2017 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ;
23. अधिसूचना संख्या: एफ.24(10)वित्त/कर/2016-74 दिनांक 2.2.2017 जिसके द्वारा हिन्दी फिल्म मिराधा को मनोरंजन कर से सशर्त छूट प्रदान की गई है ;
24. अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 19.11.2015 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा-6 की उपधारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में संशोधन किया गया है ;
25. अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 14.7.2016 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा-55 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में संशोधन किया गया है ;
26. अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 31.8.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 16.9.2015 को अतिष्ठित करते हुए कतिपय इलेक्ट्रिक उपापन का अंगीकरण अनिवार्य किया गया है ;
27. अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 2.9.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 4.9.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
28. अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 28.10.2016 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा-58 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अधीन गठित पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जिम्मे लिये गये उपापन में छूट प्रदान की गई है ;
29. अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 4.11.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 4.9.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
30. अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 15.11.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 4.9.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

31. अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2014 दिनांक 15.11.2016 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में संशोधन किया गया है ;
32. अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 26.12.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 4.9.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
33. अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 27.12.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 4.9.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
34. अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 4.1.2017 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत खान और भू-विज्ञान विभाग द्वारा रॉयल्टी संग्रहण संविदा और अतिरिक्त रॉयल्टी संग्रहण संविदा के लिये सेवाओं के उपापन को छूट प्रदान की गई है ; एवं
35. अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 23.1.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 4.9.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

आबकारी विभाग

- 1- अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2015पार्ट-1 दिनांक 25.10.2016 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है ;
- 2- अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/आब/2014पार्ट दिनांक 15.11.2016 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है ; एवं

- 2- श्री राजेन्द्र राठौड़, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, पंचायती राज विभाग की निम्नांकित अधिसूचनार्यें सदन की मेज पर रखेंगे :-

पंचायती राज विभाग

1. अधिसूचना संख्या: एफ.4(7)एम/रूल/लीगल/पीआर/2014/812 दिनांक 2 नवम्बर, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है ;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.4(7)एम/रूल/लीगल/पीआर/2014/880 दिनांक 2 दिसम्बर, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है ; एवं
3. अधिसूचना संख्या: एफ.4(7)एम/रूल/लीगल/पीआर/2014/65 दिनांक 25 जनवरी, 2017 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है ।

3- श्री युनूस खान, परिवहन मंत्री, परिवहन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

परिवहन विभाग

1. अधिसूचना संख्या: एफ.6(62)/परि/कर/मु0/11/14200 दिनांक 21 जुलाई, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान ललित कला अकादमी, जयपुर के वाहन को सशर्त देय कर के संदाय में छूट प्रदान की गई है ;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.6(75)परि/कर/मु0/08/16044 दिनांक 19 अगस्त, 2016 जिसके द्वारा दिनांक 19 अगस्त, 2016 से 25 सितम्बर, 2016 तक अन्य राज्यों से रामदेवरा (जिला-जैसलमेर) आने-जाने वाले यात्री वाहनों के लिये 5500/- रुपये से अधिक के कर का परिहार किया गया है ;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.6(96)/परि/कर/मु0/उर्स/6247 दिनांक 29 मार्च, 2016 जिसके द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से 20 अप्रैल, 2016 तक अन्य राज्यों से अजमेर शहर को आने-जाने वाले समस्त यात्री वाहनों के लिये 5000/- रुपये से अधिक के कर का परिहार किया गया है ;
4. अधिसूचना संख्या: एफ.7(4)परि/नियम/मु0/2015/12166 दिनांक 22 जून, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 में संशोधन किये गये हैं ;
5. अधिसूचना संख्या: एफ.7(38)परि/नियम/मु0/2011/14964 दिनांक 2 अगस्त, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 में संशोधन किया गया है ;
6. अधिसूचना संख्या: एफ.7(3)परि/नियम/मु0/95/II/16763 दिनांक 31 अगस्त, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 में संशोधन किया गया है ;
7. अधिसूचना संख्या: एफ.7(4)परि/नियम/मु0/2015/16777 दिनांक 31 अगस्त, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 में संशोधन किया गया है ;
8. अधिसूचना संख्या: एफ.7(273)परि/नियम/मु0/2007/23257 दिनांक 3 नवम्बर, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 में संशोधन किया गया है ;
9. अधिसूचना संख्या: एफ.7(495)परि/ट्रान्स/नियम/मु0/2013/24615 दिनांक 25 नवम्बर, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान लोक सेवा यानों द्वारा ऑन डिमाण्ड सूचना प्रौद्योगिकी आधारित परिवहन नियम, 2016 विरचित किये गये हैं ;
10. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु0/95/2014-2015/25107 दिनांक 6 दिसम्बर, 2016 जिसके द्वारा एमनेस्टी स्कीम 2016-2017 सशर्त लागू की गई है ; एवं
11. अधिसूचना संख्या: एफ.6(262)परि/कर/मु0/07/27798 दिनांक 23 जनवरी, 2017 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951 में संशोधन किया गया है ।

4- श्री सुरेन्द्र गोयल, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मार्गदर्शक संख्या: सीई (एसपी) पीएचईडी/सब्लेटिंग /2016-17/8181-8227 दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा-56 (1) के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा 56(2) के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किये गये हैं, सदन की मेज पर रखेंगे ।

5- श्री पुष्पेन्द्र सिंह, ऊर्जा राज्यमंत्री, ऊर्जा विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

ऊर्जा विभाग

1. अधिसूचना संख्या: प.23(3)ऊर्जा/2015 दिनांक 21 मार्च, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान मुख्य विद्युत निरीक्षक और विद्युत निरीक्षक (शक्तियाँ और कृत्य) नियम, 2016 विरचित किये गये हैं ;
2. अधिसूचना संख्या: प.17(4)ऊर्जा/2016 दिनांक 30 जून, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व नियम, 2016 विरचित किये गये हैं ; एवं
3. अधिसूचना संख्या: प.23(3)ऊर्जा/2015 दिनांक 21 मार्च, 2016 जिसके द्वारा दुर्घटनाओं की सूचना (सूचना की तामील का प्रारूप और समय) नियम, 2016 विरचित किये गये हैं ।

(ख) वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

1- श्री कालीचरण सराफ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का 5वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 सदन की मेज पर रखेंगे ।

2- श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री, निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखेंगे :-

- (I) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का 47वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2015-2016 ; एवं
- (II) राजस्थान वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा-37(6) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिये राजस्थान वित्त निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन ।

3- श्री युनूस खान, परिवहन मंत्री, सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा-35(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 52वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 सदन की मेज पर रखेंगे ।

4- श्री श्रीचन्द्र कृपलानी, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखेंगे :-

- I- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-394 के अन्तर्गत जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016.; एवं
- II- राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1971 की धारा-47 के अन्तर्गत राजस्थान आवासन मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे वर्ष 2015-2016.

5- श्री पुष्पेन्द्र सिंह, ऊर्जा राज्यमंत्री निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण सदन की मेज पर रखेंगे :-

- I- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2015-2016 ;
- II- विद्युत अधिनियम, 1971 की धारा-19(2) के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन; एवं
- III- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 21वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 ;

3. समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा, सभापति, याचिका समिति, 2016-2017, याचिका समिति के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सातवें एवं नगरीय विकास विभाग से संबंधित आठवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

4. याचिकाओं का उपस्थापन

(I) श्री जोगाराम पटेल, सदस्य, विधान सभा, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

- 1- विधान सभा क्षेत्र लूनी, जिला-जोधपुर की कतिपय ग्राम पंचायतों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने बाबत् ।
- 2- विधान सभा क्षेत्र लूनी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दुन्दाड़ा को सैटेलाईट अस्पताल में क्रमोन्नत करने बाबत् ।

(II) श्री देवेन्द्र कटारा, सदस्य, विधान सभा, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

- 1- विधान सभा क्षेत्र इंगरपुर की पंचायत समिति बिछीवाड़ा की ग्राम पंचायत जैलाणा में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने बाबत् ।
- 2- विधान सभा क्षेत्र इंगरपुर में वार्ड नं0 7,8,9 एवं 10 कच्ची/आबादी क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने बाबत् ।

(III) श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में अजमेर विकास प्राधिकरण के तहत किशनगढ़ को उपखण्ड मुख्यालय किशनगढ़ पर ही स्थापित किये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(IV) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र उदयपुर (ग्रामीण) की ग्राम पंचायत टीडी से जावर माईन्स तक सड़क निर्माण बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(V) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र खींवसर के जिला नागौर के मूंडवा पंचायत समिति के ग्राम हिलोड़ी से भटनोखा तक सड़क पर डामरीकरण करवाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

5. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेत्तर वाद-विवाद

श्रीमती अलका सिंह (वि.सं.-14), सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2017 को प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद होगा :-

"इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं ।"

पृथ्वी राज
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 27 फरवरी, 2017